प्रवेश आवेदन फार्म आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालयों में स्वीकार किए जायेंगे। महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित सीट संख्या के आधार पर आवेदनों की मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सीट रिक्त होने पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन मंगाये जायेंगे।

- अधिभार के संबंध में प्रवेश मार्गदर्शिक सिद्धांत के बिन्दु क्र. 13 से 13.8 तक का अवलोकन किया जा सकता है। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- उक्त प्रवेश प्रकिया केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिए लागू है, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के पश्चात प्रारंभ किए जायेंगे।

➤ **यदि ऑनलाईन प्रवेश आवेदन फार्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय के हेल्पलाईन नं. 9713387094/7225940167 पर फोन के माध्यम से अथवा onlinehelp@durguniversity.in पर ई-मेल कर समाधान प्राप्त कर सकते है।**

**महाविद्यालयों हेतु निर्देशः-**

- **सत्र 2021-22 में आपके महाविद्यालय हेतु स्नातक भाग-01 में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पद्धति से आवेदन लिए जा सकेंगे।**
- **महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लेवे कि संबंधित छात्र/छात्रा ने ऑनलाईन माध्यम से ही प्रवेश हेतु आवेदन किया हो। प्रवेश आवेदन फार्म केवल ऑनलाईन पद्धति से ही भरे जायेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन प्रवेश आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।**
- **महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे संपूर्ण दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात प्रवेश पोर्टल पर जाकर संबंधित विद्यार्थी के डाटा को Admitted करना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्रों के आवेदन को संबंधित महाविद्यालय द्वारा Admitted करना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही उनकी प्रवेश की प्रकिया पूर्ण मानी जायेगी।**
- पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र की उपलब्धता पर महाविद्यालय अपने सूचना पटल एवं वेबसाईट दोनों पर मेरिट सूची जारी करें। मेरिट सूची जारी करने के पश्चात 31.08.2021 तक प्रवेश की प्रकिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- छात्र/छात्राओं द्वारा विषय समूह/बाप/पिता/माता का नाम/जन्म तिथि आदि के चयन में हुई त्रुटियों का सुधार संबंधित महाविद्यालय अपने लागइन पैनल के माध्यम से कर सकेंगे। किसी भी छात्र/छात्रा को अनावश्यक विश्वविद्यालय न भेजा जाए। महाविद्यालय अपने स्तर पर विश्वविद्यालय से छात्रों को होने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर छात्रों को उनके समाधान के संबंध में जानकारी दे सकते हैं।
- महाविद्यालयों को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड पूर्व में प्रदान किया गया है, फिर भी यदि किसी महाविद्यालय के पास यह नहीं है तो वह विश्वविद्यालय से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
- किसी भी स्थिति में ऑफलाईन प्रवेश आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

संलग्न- प्रवेश मार्गदर्शिका

आदेशानुसार,

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग, दिनांक 28/07/2021

पृ.क्र. 1813/प्रवेश/2021
प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/वित्त अधिकारी/उ.कु.स. परीक्षा/अकादमिक/गोपनीय एवं संबंधित प्रवेश कार्य सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
7. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाएं दुर्ग/बेमेतरा/राजनांदगांव/कबीरधाम/बालोद को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्रों के आगामी अंक में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय

Govt. College Khertha Distt. Balod (C.G.)

Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

# हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001

ई मेल : registrar@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359100

क्र. 12-12/प्रवेश/2021

दुर्ग, दिनांक 28/07/2021

## //अधिसूचना//

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटलनगर द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 1684/आउशि/समं/2021 दिनांक 14.07.2021 सत्र 2021-22 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 के स्नातक भाग-01 में नियमित प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन पद्धति से प्रवेश आवेदन फार्म भराया जाना है, जिसकी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

| क्र. | आवेदन | दिनांक |
|---|---|---|
| 01 | छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि (प्राचार्य की अनुमति से) | 02.08.2021 से 20.08.2021 |
| 02 | मेरिट सूची जारी करने की तिथि | 21.08.2021 से 25.08.2021 |
| 03 | संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रकिया पूर्ण करने की तिथि | 22.08.2021 से 31.08.2021 |
| 04 | छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि (कुलपति की अनुमति से केवल रिक्त सीटों पर) | 01.09.2021 से 15.09.2021<br>उक्त तिथि में प्रवेश आवेदन करने वाले छात्रों को दिनांक 15.09.2021 तक संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। |

**छात्र/छात्राओं हेतु निर्देशः-**

- छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबबसाईट www.durguniversity.ac.in के Quick Links पर जाकर Online Admission 2021-22 पर Click कर अथवा http://durg1.ucanapply.com के माध्यम से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे।
- छात्र/छात्राएं उपरोक्त लिंक के माध्यम से सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे तत्पश्चात यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त कर प्रवेश आवेदन फार्म भरेंगे।
- छात्र/छात्राएं कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाईन पद्धति से भरे हुए प्रवेश आवेदन को संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे।
- प्रवेश फार्म ऑनलाईन पद्धति से भरने हेतु छात्र/छात्राएं छ.ग. शासन द्वारा सत्र 2021-22 के लिए जारी मार्गदर्शिका सिद्धांत का भलिभांति अवलोकन कर लेवें, तत्पश्चात ही प्रवेश आवेदन फार्म भरें, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। छात्रों की सुविधा हेतु उक्त प्रवेश मार्गदर्शिका विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.durguniversity.ac.in पर उपलब्ध है साथ ही इस अधिसूचना के साथ भी संलग्न की जा रही है।
- छात्र/छात्राएं अब मोबाईल के माध्यम से भी प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे, इसके लिए उन्हें अपने अंतिम परीक्षा की अंकसूची (यदि प्राप्त नहीं हुई है तो इंटरनेट से प्राप्त की हुई प्रति) प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि पहले से ही स्कैन करके रखना होगा जिससे अपलोड करते समय परेशानी न हो।
- प्रवेश आवेदन फार्म पूर्णतः निःशुल्क है। परन्तु यदि छात्र/छात्राए इंटरनेट कैफे या सी.एस.सी. सेंटर जाकर प्रवेश फार्म भरवाते हैं तो उन्हें उनकी फीस का भुगतान स्वयं करना होगा।
- ऑनलाईन प्रवेश आवेदन करने के पश्चात आवेदन की एक प्रति संबंधित महाविद्यालय एवं एक प्रति संबंधित छात्र/छात्रा के आई.डी. पर अपलोड हो जाएगी जिसे छात्र कभी भी डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
------00---------

No.: L-201----------22--------1145
AD-(K.)---/JD/---------/DD---------
Section---------अमन्वय
Date 5 JUL 2021 C.H.E

क्रमांक एफ 17–95 / 2017 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– आपका ज्ञापन कमांक 1563 / 214 / आउशि / सम / 2021 दिनांक 16.06. 2021

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95 / 2017 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय
08/07/2021

Govt. College Khertha
Khertha Distt. Balod
Balod (C.G.)

173

# छत्तीसगढ़ शासन

# उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

**छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए**

**सत्र 2021–22**

**हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत**

Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), [illegible] तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उध्वाधर आरक्षण के [illegible] होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के [illegible] प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। [illegible] आरक्षित रहेंगे।

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित [illegible]

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी [illegible] काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की [illegible] यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी [illegible] जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या [illegible] होगी।

जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में [illegible] निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

**अधिभार –**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति [illegible] इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किए जाने वाले प्रमाण [illegible] पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर [illegible] सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

**[illegible] /एन.एस.एस./स्काउट्स**

[illegible] शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| [illegible] | एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट | 03 प्रतिशत |

Govt. College Khertha
Distt. Balod (C.G.)



**प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-**

स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/[illegible] विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी [illegible] महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण– छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात्

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से [illegible] प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से [illegible] प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों [illegible] तथा अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम [illegible] पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत क्रम [illegible] विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इन्हें अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिक [illegible] स्वतंत्रता [illegible] सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशिष्ट वर्गों के [illegible] में सीटों के आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम [illegible]

Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

संख्यात्मक सूची छात्र छात्राओं की जानकारी सत्र 2020–21 रेगुलर स्टूडेंट

# STUDENT DATA 2020-21

| | | ST | | | OBC | | | SC | | | UR | | | अल्पसंख्यक | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रं | कक्षा | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग |
| 1 | B.A. I | 9 | 19 | 28 | 14 | 21 | 35 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | NIL | NIL | NIL | 25 | 45 | 70 |
| 2 | B.Sc. I | 7 | 19 | 26 | 9 | 32 | 41 | 1 | 1 | 2 | NIL | NIL | NIL | NIL | 1 | 1 | 17 | 53 | 70 |
| 3 | B.Com. I | 5 | 16 | 21 | 26 | 11 | 37 | NIL | 1 | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | NIL | 1 | 32 | 28 | 60 |
| 4 | B.A. II | 10 | 21 | 31 | 12 | 14 | 26 | 1 | 1 | 2 | NIL | 1 | 1 | NIL | NIL | NIL | 23 | 37 | 60 |
| 5 | B.Sc. II | 1 | 9 | 10 | 7 | 31 | 38 | NIL | 2 | 2 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 8 | 42 | 50 |
| 6 | B.Com. II | 2 | 4 | 6 | 14 | 11 | 26 | 1 | NIL | 1 | 2 | NIL | 2 | NIL | NIL | NIL | 19 | 15 | 34 |
| 7 | B.A. III | 19 | 19 | 38 | 11 | 16 | 27 | 1 | 3 | 4 | NIL | NIL | NIL | NIL | 1 | 1 | 31 | 39 | 70 |
| 8 | B.Sc. III | 3 | 14 | 17 | 2 | 26 | 28 | NIL | 1 | 1 | NIL | NIL | NIL | NIL | 1 | 1 | 5 | 42 | 47 |
| 9 | B.Com. III | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 5 | 5 | 10 |
| 10 | M.A. Pre | 4 | 7 | 11 | 2 | 10 | 12 | NIL | 1 | 1 | 1 | NIL | 1 | NIL | NIL | NIL | 7 | 18 | 25 |
| 11 | M.A. Final | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | NIL | 3 | 3 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 6 | 14 | 20 |
| | योग | 63 | 133 | 196 | 105 | 183 | 289 | 5 | 17 | 22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 178 | 338 | 516 |

Govt. College Khertha
Khertha
Distt. Balod
Balod (C.G.)

Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

# STUDENT DATA 2018-19

| CLASS | Number in Position | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General | | S. C. | | S. T. | | O. B. C. | | Total | | Remark |
| | Total | Female | Total | Female | Total | Female | Total | Female | Total | Female | |
| B.A. I | 1 | 0 | 12 | 7 | 37 | 22 | 20 | 11 | 70 | 40 | |
| B.A. II | 3 | 1 | 9 | 5 | 39 | 19 | 19 | 9 | 70 | 34 | |
| B.A. III | 0 | 0 | 11 | 9 | 40 | 17 | 19 | 11 | 70 | 37 | |
| M.A. I | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 25 | 12 | |
| M.A. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | |
| B. Com. I | 3 | 1 | 8 | 5 | 24 | 11 | 7 | 4 | 42 | 21 | |
| B. Com. II | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | |
| B. Com. III | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | |
| B. Sc. I | 5 | 3 | 9 | 5 | 39 | 21 | 17 | 8 | 70 | 37 | |
| B. Sc. II | 4 | 2 | 8 | 5 | 29 | 17 | 19 | 8 | 60 | 32 | |
| B. Sc. III | 2 | 2 | 5 | 2 | 27 | 14 | 11 | 8 | 45 | 26 | MALE |
| **GRAND TOTAL** | **20** | **10** | **74** | **43** | **268** | **140** | **133** | **66** | **495** | **259** | **236** |

# STUDENT DATA 2019-20

| CLASS | Number in Position | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General | | S. C. | | S. T. | | O. B. C. | | Total | | Remark |
| | Total | Female | Total | Female | Total | Female | Total | Female | Total | Female | |
| B.A. I | 1 | 1 | 3 | 2 | 35 | 24 | 31 | 14 | 70 | 41 | |
| B.A. II | 1 | 1 | 5 | 4 | 38 | 19 | 26 | 14 | 70 | 38 | |
| B.A. III | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 22 | 39 | 25 | 70 | 48 | |
| M.A. I | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 12 | 8 | 25 | 16 | |
| M.A. 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 19 | 11 | |
| B. Com. I | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 30 | 12 | 42 | 17 | |
| B. Com. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 7 | |
| B. Com. III | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 17 | 8 | |
| B. Sc. I | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 8 | 45 | 33 | 68 | 43 | |
| B. Sc. II | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 15 | 24 | 22 | 45 | 38 | |
| [illegible] | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 | 32 | 18 | 13 | 60 | 46 | MALE |
| **GRAND TOTAL** | **6** | **5** | **23** | **14** | **216** | **139** | **253** | **155** | **498** | **313** | **185** |

Govt. College Khertha Distt. Balod ★ Balod (C.G.) ★

Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

# STUDENT DATA 2016-17

| CLASS | Number in Position | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General | | S. C. | | S. T. | | O. B. C. | | Total | | Remark |
| | Total | Female | Total | Female | Total | Female | Total | Female | Total | Female | |
| B.A. I | 2 | 2 | 8 | 5 | 52 | 30 | 8 | 4 | 70 | 41 | |
| B.A. II | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 24 | 22 | 10 | 63 | 34 | |
| B.A. III | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | 40 | 27 | 10 | 97 | 50 | *** |
| M.A. 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 25 | 8 | |
| M.A. 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 5 | 2 | 23 | 11 | |
| B. Com. I | 3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 10 | 15 | 13 | 48 | 23 | |
| B. Com. II | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 1 | 17 | 5 | |
| B. Com. III | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 3 | |
| B. Sc. I | 8 | 0 | 5 | 0 | 42 | 19 | 15 | 13 | 70 | 32 | |
| B. Sc. II | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | |
| B. Sc. III | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 | 10 | 12 | 9 | 45 | 19 | MALE |
| GRAND TOTAL | 32 | 6 | 30 | 5 | 296 | 158 | 129 | 66 | 487 | 235 | 252 |

# STUDENT DATA 2017-18

| CLASS | Number in Position | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General | | S. C. | | S. T. | | O. B. C. | | Total | | Remark |
| | Total | Female | Total | Female | Total | Female | Total | Female | Total | Female | |
| B.A. I | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | 18 | 35 | 19 | 70 | 39 | |
| B.A. II | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 14 | 35 | 12 | 70 | 30 | |
| B.A. III | 1 | 0 | 5 | 4 | 31 | 15 | 33 | 22 | 70 | 41 | |
| M.A. I | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 5 | 19 | 6 | |
| M.A. 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 6 | 18 | 7 | |
| B. Com. I | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 25 | 10 | 42 | 19 | |
| B. Com. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 3 | 19 | 6 | |
| B. Com. III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 10 | 17 | 12 | |
| B. Sc. I | 3 | 2 | 7 | 3 | 23 | 14 | 37 | 28 | 70 | 47 | |
| B. Sc. II | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 33 | 22 | 52 | 36 | |
| B. Sc. III | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 7 | 17 | 11 | MALE |
| GRAND TOTAL | 08 | 04 | 22 | 12 | 176 | 94 | 258 | 144 | 464 | 254 | 210 |

Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)